

राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर
डालमिया डेयरी के पास, एनएच-21, सेवर बाईपास, भरतपुर-321001 (राज.)
Telephone No 05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक: /जीपीबी/स्था/2021-22/

दिनांक

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन कार्यालय श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला परिचायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2021 श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत च०श्रेणी कर्मचारी वेतन शृंखला L-1 व प्रयोगशाला परिचायक वेतन शृंखला L-1 एवं नियमानुसार रूपये 12,400/- (नियत प्रतिमाह) पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. रिक्त पदों का विवरण:-

1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (योग्यता पांचवीं उत्तीर्णी)- 01 पद श्रेणी सामान्य (UR)

2 प्रयोगशाला परिचायक(योग्यता आठवीं उत्तीर्णी)- 01 पद श्रेणी सामान्य (UR)

2. आवेदन करने की समय सीमा:-

आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 30.12.2021 तक कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार्य होंगे ॥(पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज की प्रति एवं निर्धारित शुल्क सहित, व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 30.12.2021 को सायं 4.00 बजे तक उक्त कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।)

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र तकनीकी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://dte.rajasthan.gov.in> एवं <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gpcbharatpur> पर उपलब्ध है अतः आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन एवं दिशानिर्देशों का अवलोकन कर लें।

प्रधानाचार्य

विज्ञापन सं. 01 / 2021

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती

तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के अधीन कार्यालय श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम 1999 तथा समय-2 पर इससे सम्बन्धित होने वाले संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत च0श्रेणी कर्मचारी वेतन श्रृंखला L-1 व प्रयोगशाला परिचायक वेतन श्रृंखला L-1 एवं नियमानुसार रूपये 12,400/- (नियत प्रतिमाह) पारिश्रमिक पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पद नाम	कुल पद	श्रेणी
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	सामान्य
2.	प्रयोगशाला परिचायक	01	सामान्य

1. वेतनमानः— राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला परिचायक का वेतनमान पे-मेट्रिक्स लेवल-1 निर्धारित है। परिवीक्षाकाल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार आदेशानुसार देय होगा।

2. अन्य शर्तेः—

(1). सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो राज्य-सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

(2). सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जाते हैं। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

3. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता :-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व प्रयोगशाला परिचायक :-

1. तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के अधीन श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के शेड्यूल-1 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं प्रयोगशाला परिचायक हेतु न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

2. देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान।
3. राजस्थान के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

4. अन्य योग्यताएँ :-

(1) **स्वास्थ्य**:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे अपना आरोग्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।

(2) **चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने से पूर्व के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

5. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जामिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:- परन्तु शर्त यह है कि वग(ख), (ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों का भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. आयु :- आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो।

उच्चतम आयु सीमा में विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी-

1. अधिकतम आयु सीमा में-

- (क). अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य हो।)
- (ख). सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (घ) अन्य मामलों में राज्य सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
- (ङ) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के आवेदक द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे आयु सीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

7. अंशदायी पेंशन :- नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. विवाह पंजीयन:- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

9. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

10. नियुक्ति की अयोग्यताएँ:-

(1).किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2). किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3).कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। इसके लिए आवेदक को दहेज न लेने का शपथ पत्र प्रेषित करना होगा।

(4). ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना की जाएगी।

11. आवेदन कैसे करें :- समस्त आवेदन पत्र ऑफ लाइन प्रक्रिया द्वारा स्वीकार किये जायगें। (विभाग की वेबसाइट <https://dte.rajasthan.gov.in> एवं <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gpcbharatpur> पर समस्त भर्ती नियमों का अध्ययन कर आवेदन फार्म का प्रिंट आउट प्राप्त करें। पूर्ण रूप से भरकर मय सलंगन दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क नकद / IPO / DD (जो कि प्रधानाचार्य, एस.जी.वी. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर के नाम से देय हो) के साथ दिनांक 30.12.2021 तक (कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक) व्यक्तिशः/ पंजीकृत डाक द्वारा इस संस्थान में जमा किये जा सकेंगे। अंतिम तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे।

12. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र हैं उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट: राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ:-

दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 30.12.2021 तक कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर) व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा जमा कराया जा सकता है। विलम्ब होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. आवेदन शुल्क :-

(क). सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 200/-

(ख). राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 100/- (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मान्य प्रमाण पत्र)

(ग) राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग/दिव्यांगजन/सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है (आय प्रमाण-पत्र सलग्न करने पर) के आवेदक हेतु – रूपये 50/-

14. एक बार कार्यालय में जमा आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

15. रिक्त पदों की संख्या को राज्य सरकार के निर्देशानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

16. किहीं कारणों से यदि आवश्यक हुआ तो नियुक्ति अधिकारी को इस भर्ती को निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

17. भर्ती सम्बन्धी यदि कोई वाद होता हैं तो इसके लिए वाद क्षेत्र भरतपुर न्यायालय रहेगा।
18. भर्ती प्रक्रिया सीधे साक्षात्कार (जिसके लिए अलग से सूचना आवेदक के ई-मेल एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल संख्या पर दी जायेगी) के माध्यम से की जायेगी साथ ही साक्षात्कार की सूचना विभागीय बेबसाइट <https://dte.rajasthan.gov.in/> एवं <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध रहेगी।
19. आवेदक को प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में दोनों पदों हेतु किये गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायें।
20. आवेदन पत्र के साथ सलंगन किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेजों को निम्न क्रम में लगाया जावें:-
 - (1) शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज।(प्रतिलिपि)
 - (2) जन्म तिथि साक्ष्य हेतु दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो/अन्य। (प्रतिलिपि)
 - (3) राजस्थान के किसी भी रोजगार कार्यालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
 - (4) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र प्रारभ होने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो (राजपत्रित अधिकारी आवेदक के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए)
 - (5) जाति प्रमाण पत्र— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (यदि आवश्यक हो तो)
 - (6) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछ़ड़ा वर्ग/नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछ़ड़ा वर्ग के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
 - (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
21. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सलंगन नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायें।
22. भर्ती के सम्बन्ध में नवीनतम एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित जानकारी हेतु निम्न वेबसाइटों का समय-समय पर अवलोकन करते रहें:-
<https://dte.rajasthan.gov.in/>
<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gpcbharatpur>

प्रयोगशाला परिचायक के पद हेतु सीधी भर्ती- 2021 का आवेदन पत्र

1

आवेदन पत्र क्रमांक : दिनांक : (कार्यालय पूर्ति हेतु)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि : (प्रमाण संलग्न करें।)
4. दिनांक 01.01.2022 को आयुः वर्ष..... माह..... दिन.....
5. रोजगार कार्यालय का नाम जहां आवेदक पंजीकृत है :
पंजीकरण संख्या : पंजीकरण की तिथि
6. स्थायी पता :

अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं एंव उस पर अपने हस्ताक्षर करें साथ ही स्टेपल भी करें

पिन कोड मोबाइल स0
7. पत्र व्यवहार का पता :

पिन कोड मोबाइल स0
ई-मेल आईडी (स्पष्ट एंव आवश्यक रूप से भरना है।)
8. वर्ग : सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग

(SC/ST/OBC Non-creamy layer/MBC Non-creamy layer/EWS आदि श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

9. शैक्षणिक योग्यता :

क्रमांक	कक्षा	बोर्ड/स्कूल का नाम	जिला	पास करने का वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत
1					
2		*			
3					
4					
5					
6					

10. वर्तमान में यदि सेवा में हैं तो कार्यालय का नाम एंव पद :

11. लिंग : पुरुष ()/महिला ()/उभयलिंग()

12. आधार संख्या :

13. वैवाहिक स्थिति : अविवाहित ()/विवाहित ()

14 सन्तान : 1. दिनांक 01.06.2002 से पूर्व जीवित बच्चों की संख्या.....

2. दिनांक 01.06.2002 से बाद जन्मे जीवित बच्चों की संख्या.....

3 कुल जीवित बच्चों की संख्या.....

15. राष्ट्रीयता :.....

16. धर्म :.....

17. निर्धारित शुल्क :— निम्न में से किसी एक माध्यम द्वारा

- 1 नकद व्यक्तिशः राशि
 2 भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) / बैंक डी.डी (D.D.) जो कि प्रधानाचार्य, एस.जी.बी. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर के नाम से देय हो।
 राशि , IPO/DD संख्या , दिनांक

18. सलंगन दस्तावेजः

- (1) शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज एवं नकद (व्यक्तिशः जमा कराने पर) / भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) / बैंक डी.डी (D.D.) [पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करने पर]
 (2) जन्म तिथि साक्ष्य हेतु दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो/अन्य की प्रतिलिपि)
 (3) राजस्थान के किसी भी रोजगार कार्यालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
 (4) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो (राजपत्रित अधिकारी आवेदक के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए)
 (5) जाति प्रमाण पत्र— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
 (6) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
 (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
19. घोषणा:- मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई उपरोक्त समस्त सूचनाएँ एवं जानकारी सही हैं। यदि कोई तथ्य/सूचना छुपाई जाती हैं या असत्य पाई जाती हैं तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है, जिसका दायित्व पूर्ण रूप से मेरा स्वयं का होगा।

दिनांक:.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क प्राप्ति रसीद (कार्यालय पूर्ति हेतु)

आवेदन पत्र क्रमांक..... दिनांक.....

आवेदक श्री/कुमारी/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पति.....

द्वारा प्रयोगशाला परिचायक के पद हेतु आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क (रूपये)

नकद/IPO/DD प्राप्त किया गया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
प्रधानाचार्य, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर
डालमिया डेयरी के पास, एनएच-21, सेवर बाईपास, भरतपुर-321001
Telephone No 05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

स्वघोषणा

संतान की संख्या सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

विवाह पंजीयन सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है, परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक
को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी.....
.....के साथ दिनांक को
राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैंअविवाहित हूँ।
मैंविधुर/विधवा हूँ। पत्नी/पति श्री/श्रीमती
.....है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दहेज सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है तथा मैंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर^{डालमिया डेयरी के पास, एनएच-21, सेवर बाईपास, भरतपुर-321001}
Telephone No 05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

एक पत्नी सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है, इसके अतिरिक्त मेरे कोई जीवित पत्नी/पति नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु सीधी भर्ती- 2021 का आवेदन पत्र

1

आवेदन पत्र क्रमांक : दिनांक : (कार्यालय पूर्ति हेतु)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि : (प्रमाण संलग्न करें।)
4. दिनांक 01.01.2022 को आयुः वर्ष..... माह..... दिन.....
5. रोजगार कार्यालय का नाम जहां आवेदक पंजीकृत है :
पंजीकरण संख्या : पंजीकरण की तिथि :
6. स्थायी पता :

अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो विपकाएं एवं उस पर अपने हस्ताक्षर करें साथ ही स्टेपल भी करें

पिन कोड..... मोबाइल स0

7. पत्र व्यवहार का पता :

पिन कोड..... मोबाइल स0

ई-मेल आईडी (स्पष्ट एवं आवश्यक रूप से भरना है।)

8. वर्ग : सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(SC/ST/OBC Non-creamy layer/MBC Non-creamy layer/EWS आदि श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

9. शैक्षणिक योग्यता :

क्र0स0	कक्षा	बोर्ड/स्कूल का नाम	जिला	पास करने का वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					
6					

10. वर्तमान में यदि सेवा में है तो कार्यालय का नाम एवं पद :

11. लिंग : पुरुष ()/महिला ()/उभयलिंग()

12. आधार संख्या :

13. वैवाहिक स्थिति : अविवाहित ()/विवाहित ()

14 सन्तान : 1. दिनांक 01.06.2002 से पूर्व जीवित बच्चों की संख्या.....

2. दिनांक 01.06.2002 से बाद जन्मे जीवित बच्चों की संख्या.....

3. कुल जीवित बच्चों की संख्या.....

15. राष्ट्रीयता :.....

16. धर्म :.....

17. निर्धारित शुल्क :— निम्न में से किसी एक माध्यम द्वारा

4 नकद व्यक्तिशः राशि.....

5 भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) / बैंक डी.डी (D.D.) जो कि प्रधानाचार्य, एस.जी.वी. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर के नाम से देय हो।
 राशि , IPO/DD संख्या , दिनांक

18. सलंगन दस्तावेजः

- (1) शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज एंव नकद (व्यक्तिशः जमा कराने पर) /भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) /बैंक डी.डी (D.D.)[पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करने पर]
- (2) जन्म तिथि साक्ष्य हेतु दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो/अन्य की प्रतिलिपि)
- (3) राजस्थान के किसी भी, रोजगार कार्यालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
- (4) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो (राजपत्रित अधिकारी आवेदक के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए)
- (5) जाति प्रमाण पत्र— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
- (6) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/ नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो)

19. घोषणा:- मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई उपरोक्त समस्त सूचनाएँ एंव जानकारी सही हैं। यदि कोई तथ्य/सूचना छुपाई जाती हैं या असत्य पाई जाती हैं तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है, जिसका दायित्व पूर्ण रूप से मेरा स्वयं का होगा।

दिनांक:.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र एंव आवेदन शुल्क प्राप्ति रसीद (कार्यालय पूर्ति हेतु)

आवेदन पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

आवेदक श्री/कुमारी/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पति.....

द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क (रूपये)

नकद/IPO/DD प्राप्त किया गया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
प्रधानाचार्य, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर
डालमिया डेयरी के पास, एनएच-21, सेवर बाईपास, भरतपुर-321001
Telephone No 05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

स्वघोषणा

संतान की संख्या सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

विवाह पंजीयन सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है, परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक
को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।
या
मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी.....
..... के साथ दिनांक को
राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैंअविवाहित हूँ।
मैंविधुर/विधवा हूँ। पत्नी/पति श्री/श्रीमती
..... है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दहेज सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है तथा मैंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर
डालमिया डेयरी के पास, एनएच-21, सेवर बाईपास, भरतपुर-321001
Telephone No 05644-297015, Email-ID-gpc.bharatpur@rajasthan.gov.in

एक पत्नी सम्बन्धी घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीश्री.....
शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री
निवासी.....
से हुआ है, इसके अतिरिक्त मेरे कोई जीवित पत्नी/पति नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर